न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 05/2018

अपीलांट्स–

1. माधाराम पुत्र लालाराम
2. वगताराम पुत्र लालाराम

जाति जाट निवासी भैरूड़ी
तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार सेड़वा
2. खेताराम पुत्र केसाराम
3. धनाराम पुत्र केसाराम
4. श्रीमती सोनी देवी पत्नी केसाराम
5. श्रीमती दमी देवी बेवा आईदानराम
6. हीराराम पुत्र आईदानराम
7. भारमल पुत्र आईदानराम
8. हेमाराम पुत्र आईदानराम
   रेस्पो0 सं. 6से8 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती दमीदेवी बेवा आईदानराम
9. लिखमाराम पुत्र भारताराम
10. भैराराम पुत्र भारताराम
11. शंकराराम पुत्र भारताराम
12. वालाराम पुत्र भारताराम
13. जेठाराम पुत्र भारताराम
14. भारताराम पुत्र रावताराम
15. नवलाराम पुत्र रावताराम
    जाति जाट निवासी भैरूड़ी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
16. मैनेजर एस0बी0आई0 बैंक, शाखा गुड़ामालानी

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.06.2014 जो ग्राम भैरूड़ी के खसरा नम्बर 168, 171, 174, 175 कुल रकबा 107–04 बीघा, खसरा नम्बर 172, 176, 233/159 कुल रकबा 86–04 बीघा, खसरा नम्बर 167 रकबा 12–05 बीघा के विभाजन हेतु तहसीलदार सेड़वा द्वारा पारित किया।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

उपस्थिति :–

1. श्री भाखराराम गोदारा, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 2 से 16 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 19/02/2019

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सेड़वा के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 24.06.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा भैरूड़ी के खसरा नम्बर 168, 171, 174, 175, 172, 176, 233/159 व 167 के खातेदारान माधा, बगता पि0 लाला, भारता, नवला पि0 रावता, खेता, आईदान, धना पि0 केशा, सोनी बेवा केशा, पूरा देवी जोजे भारथाराम कौम जाट सा0 देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 23.06.2014 तहसीलदार सेड़वा के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी भैरूड़ी द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पक्षकारान के उक्त इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी मे दर्ज है तथा इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का विवरण सही किया गया है, इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत है। इस पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 1322 दिनांक 24.06.2014 पारित किया गया। इस आदेश की पालना मे हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 241 दायर कर विभाजन नक्शा का पुश्त पर अंकन किया जिसे तहसीलदार सेड़वा द्वारा दिनांक 07.08.2014 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश एवं उसके आधार पर पारित नामान्तरकरण सं. 241 की स्वीकृति के क्रम मे की गई तरमीम को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.12.2017 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स सं. 2 से 16 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार सेड़वा द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश दिनांक 24.06.14 एवं उसके आधार पर नामान्तरकरण सं. 241 दिनांक 05.08.14 पारित करने मे भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अपीलकर्ता एवं रेस्पोडेंट सं. 2 से 15 के पूर्वजों के नाम संयुक्त कब्जा–काश्त एवं रहवासी ढाणियां, चार बाड़े, कुए, टांके, माठ आई हुई होने से सभी खातेदारों का पृथक से कोई हिस्सा खोला हुआ नही था, किन्तु मौके पर बाहमी तौर से भाई बंट अनुसार बंटवारा कर काबिज थे। संयुक्त खातेदारी की भूमि मे से गैर मुमकीन बाड़ा की जमीन संयुक्त होने से दोनो पक्षकारों ने कृषि जोत का विभाजन सहमति से करवाना तय किया गया। अपीलांट्स ने रेस्पोडेंट सं. 2 से 15 पर विश्वास कर कदीमी मौका कब्जा–काश्त अनुसार बंटवाड़ा कराने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क कर तहसीलदार सेड़वा के समक्ष पेश हुए। रेस्पोडेंट सं. 2 से 15 ने अपीलांट्स को धोखे मे रखकर छल व कपट से नक्शा मे गलत तरमीम की रेखा खींचकर अपीलांट्स की रहवासी ढाणी एवं आधे हिस्से की उपजाउ एवं खेड़ा की भूमि को अपने हिस्से मे बंटवाड़ा दर्शा दिया। उक्त बंटवाड़ा नक्शा की हल्का पटवारी एवं तहसीलदार सेड़वा द्वारा बिना मौके पर पैमाईश किये ही स्वीकृति जारी कर दी तथा नामान्तरकरण सं. 241 पारित कर दिया। इस प्रकार अपीलाधीन बंटवाड़ा आदेश एवं नामान्तरकरण के आधार पर मौका पर काश्त कब्जा एवं रहवास के अनुसार नक्शा मे तरमीम नही की गई थी। इससे यह प्रमाणित है कि यह सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित हुई है, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना की गई है। उक्त बंटवाड़ा एवं नामान्तरकरण पारित करने एवं नक्शा मे तरमीम करने मे राजस्व नियमावली की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा का इकरारनामा पर पारित आदेश एवं बंटवाड़ा का नामान्तरकरण व नक्शा मे की गई तरमीम काबिल अपास्त है।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट्स की कदीमी एवं रहवासीय ढाणियां, टांके, कुए एवं उपजाउ खेड़े की जमीन हड़पने की नियत से छल–कपट कर अपने नाम करवा दी तथा

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते राजस्थान

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपीलांट्स को ढाणियां छुड़ाने के लिए मजबूर करने पर बेघर एवं बर्बाद हो जावेंगे। अपीलांट्स को रेस्पोडेंट द्वारा छल–कपट कर गलत एवं धोखे से कराये गये बंटवाडा का ज्ञान होने नही दिया तथा अपीलांट्स भी इसी विश्वास मे अपने कब्जा–काश्त की भूमि एवं रहवासीय ढाणियों मे शांतिपूर्वक निवास करते आ रहे थे कि जोत का विभाजन वास्तविक कब्जा अनुसार हुआ है किन्तु अर्सा पूर्व जब रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट्स को धमकी देकर ढाणियां, टांके, कुए आदि से बेदखल करने का प्रयास किया, तब दिनांक 01.12.2017 को तहसील सेड़वा आकर बंटवाड़ा की नकल प्राप्त की गई तथा हल्का पटवारी से नामान्तरकरण की नकल दिनांक 15.12.2017 प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश एवं नामान्तरकरण तरमीम की सर्वप्रथम जानकारी हुई। इस प्रकार जानकारी होने की तिथी से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है जो उल्लेखित आधार पर विलम्ब को क्षमा कर स्वीकार की जावें तथा अपीलाधीन विभाजन आदेश एवं नामान्तरकरण को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा भैरूड़ी के खसरा नम्बर 168, 171, 174, 175, 172, 176, 233/159 व 167 के खातेदारान माधा, बगता पि0 लाला, भारता, नवला पि0 रावता, खेता, आईदान, धना पि0 केशा, सोनी बेवा केशा, पूरा देवी जोजे भारथाराम कौम जाट सा0 देह द्वारा दिनांक 23.06.2014 को प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा को तहसीलदार सेड़वा ने आदेश दिनांक 24.06.2014 के द्वारा स्वीकृत कर दिया। इस विभाजन इकरारनामा मे भूमि के विभाजन नक्शा की प्रस्तावित तरमीम की मौका कब्जा अनुसार जांच नही करवाई गई। हल्का पटवारी की ओर से मात्र राजस्व अभिलेख मे सह खातेदारी होने एवं लगान का सही विवरण होने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार सेड़वा द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे विहित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्य अनुसार उनके कब्जे काश्त की भूमि रेस्पोडेंट के हिस्से मे अंकित कर दी है तथा रास्ता का प्रावधान भी समुचित रूप से नही किया गया है। अपीलांट्स द्वारा प्रकट इस तथ्य की जांच हेतु तहसीलदार सेड़वा से मौका कब्जा की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार सेड़वा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 02.11.2018 के संलग्न मौका फर्द दिनांक 28.07.2018 भिजवाते हुए अवगत कराया है कि पक्षकारान का मौका कब्जा नजरी नक्शा परिशिष्ठ–अ के अनुसार है जबकि लट्ठा ट्रेस मे

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

तरमीम नक्शा परिशिष्ठ–ब अनुसार अंकित है जिससे अपीलांट्स की ढाणियां इत्यादि उनकी खातेदारी के खसरे से भिन्न खसरे मे आ रही है। मौके पर पक्षकारान को समझाईस करने पर प्रकट किया गया कि रहवासी ढाणियां कदीमी है जिसे स्थानान्तरित करने मे अपूर्णीय क्षति एवं आर्थिक नुकसान होगा, लिहाजा मौजूदा विभाजन को निरस्त किया जावें। इस प्रकार मौके पर की गई पैमाईश एवं जांच अनुसार यह भली–भांति साबित है कि अपीलाधीन विभाजन आदेश वास्तविक कब्जे–काश्त अनुसार नही किया गया है। यद्यपि अपीलाधीन कार्यवाही अपीलांट्स की सहमति से निष्पादित होना अभिलेख पर है किन्तु इस विभाजन के फलस्वरूप पक्षकारान के बीच कब्जे–काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है तथा वास्तविक स्थिति की जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा किया जाना हम उचित मानते है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सेड़वा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नही करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार सेड़वा द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 24.06.14 एवं उसके आधार पर पारित नामान्तरकरण सं. 241 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार सेड़वा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

आदेश आज दिनांक 19.02.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(राकेश कुमार)
अपर जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)